अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016.

सं0 9/2016-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी)

सा.का.नि. (अ).-- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3क की उपधारा (2) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पान मसाला पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क का संग्रहण) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पान मसाला पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क का संग्रहण) संशोधन नियम, 2016 है ।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पान मसाला पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क का संग्रहण) नियम, 2008 में प्ररूप 2 में, क्रम सं. 4 की मद (iv) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(iv) विभिन्न शुल्क के मध्य प्रभाजन के लिए शुल्क संदाय का ब्रेकअप निम्नलिखित अनुसार होगा :--

क्रम सं0	**शुल्क**	**पान मसाला के लिए शुल्क का अनुपात**	**संदत्त शुल्क (रुपए में)**	**पान मसाला, जिसमें तंबाकू है, के लिए शुल्क का अनुपात**	**संदत्त शुल्क (रुपए में)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 के अधीन उदग्रहणीय शुल्क	0.3958		0.8350	
2	वित्त अधिनियम, 2005 की धारा 85 के अधीन उदग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क	0.1250		0.0619	
3	वित्त अधिनियम, 2001 की धारा 136 के अधीन उदग्रहणीय राष्ट्रीय आपदा समाश्रित शुल्क	0.4792		0.1031	
4	वित्त अधिनियम, 2004 की धारा 91 के अधीन उदग्रहणीय शिक्षा उपकर	0.0		0.0	
5	वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 136 के अधीन उदग्रहणीय माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0.0		0.0.".	

[फा.सं0 334/8/2016-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 30/2008-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 जुलाई, 2008, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 491(अ), तारीख 1 जुलाई, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 5/2015-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2015 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 150(अ), तारीख 1 मार्च, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।